बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

::– **अधिसूचना** –::

सं०सं०–03/यु०रो०(दूरभाष)–05/2026–......................पटना, दिनांक:–....................

श्री ब्रज किशोर लाल, संयुक्त सचिव–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने आवंटित कार्यो के अतिरिक्त युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में ₹50,000/- (पचास हजार रूपये) तक के किये जाने वाले क्रय की स्वीकृति एवं विपत्रों के भुगतान की स्वीकृति हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(शंकर दयाल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–03/यु०रो०(दूरभाष)–05/2026–...719.......पटना, दिनांक:–.02/07/26

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (दोनों पक्ष)/मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग(सरकार पक्ष), बिहार, पटना/श्री ब्रज किशोर लाल, संयुक्त सचिव–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा–शाखा/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

S. Dayal 02/07/26

सरकार के उप सचिव